(99)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 496-दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-10-2014 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक देवास प्रकरण क्रमांक 28/बी-103/2010-11.

जुबेदा बी पति हातिम भाई
निवासी 68, छोटी खजरानी, इंदौर .....आवेदिका

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा
जिला पंजीयक कलेक्टर आफ स्टाम्प देवास .....अनावेदक

श्री मुख्तार खान, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/8/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक देवास द्वारा पारित दिनांक 22-10-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप पंजीयक, देवास ने पत्र क्रमांक 494/उ.पं./2010 दिनांक 4-9-2010 द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज दिनांक 2-6-2006 पर अंकित सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 45,96,000/- कम पाये जाने पर कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, देवास को प्रेषित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/बी-103/2010-11 दर्ज कर दिनांक 22-10-2014 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 3,10,000/- एवं अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत तीन गुना अर्थदण्ड रूपये 9,30,000/- अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 12,40,000/- जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंज़ीयक द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. आवेदिका द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 3,10,400/- जमा करने के लिए तैयार थी, किन्तु उप पंजीयक द्वारा कभी भी कमी मुद्रांक शुल्क जमा करने की कोई सूचना आवेदिका को नहीं दी गई है ।
2. आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन कृषि भूमि, जिसका मूल्य रूपये 45,96,000/- है, जो कि 1400/- रूपये के मुद्रांक शुल्क पर निष्पादित किया जाकर, दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उस समय एवं वर्तमान में भी आवेदिका कमी मुद्रांक शुल्क जमा करने हेतु तैयार है ।
3. आवेदिका द्वारा गाईड लाईन के अनुसार ही पूर्ण रूप से वेल्यूशन कर प्रश्नाधीन दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । ऐसी स्थिति में उप पंजीयक को कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु सूचना दी जानी चाहिए थी । प्रश्नाधीन दस्तावेज बाउण्ड कर कलेक्टर आफ स्टाम्प को नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है ।
4. कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली तो की जा सकती है, किन्तु अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत दस्तावेज को बाउण्ड कर, उस पर तीन गुना शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा वही मूल्यांकन किया है, जो कि आवेदिका द्वारा स्वयं विक्रय पत्र में दर्शाया गया है, अत: उसमें परिवर्तन किये जाने का कोई आधार नहीं है लेकिन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक ने दण्ड स्वरूप आवेदिका पर तीन गुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया है, जो कि अधिक कठोर प्रतीत होता है । इस प्रकरण में 100 प्रतिशत दण्ड अर्थात कमी मुद्रांक शुल्क के बराबर का दण्ड अधिरोपित किया जाना पर्याप्त एवं उचित प्रतीत होता है । अत: प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वह आवेदिका से कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 3,10,000/- एवं उसके बराबर अर्थदण्ड रूपये 3,10,000/- अधिरोपित की जाकर इस प्रकार कुल रूपये 6,20,000/- जमा करावें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर